भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2155
दिनांक 20.12.2022 को उत्तरार्थ

पंचायती राज योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

†2155. श्री डी.एम.कथीर आनन्द:
श्री अनुराग शर्माः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के तहत पंचायती राज क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित राज्य और जिला-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों सहित (**i)** राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), जिसका प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एवं पंचायतों के कार्यों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों जैसे ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण**,** कम्प्यूटरीकरण आदि के पूरकों को पूरा करना भी है और (**ii)** पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण**,** सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की प्रदायगी में सुधार के लिए पंचायतों को उनके अच्छे कार्य-निष्पादन को मान्यता देने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए आरजीएसए के केंद्रीय घटक योजनाओं के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि **अनुबंध** में दी गई है। उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत राज्य-वार या जिला-वार कोई भी पूर्व आवंटन नहीं किया गया है।

***

अनुबंध

पंचायती राज योजनाओं के लिए धनराशि आवंटन के संबंध में दिनांक 20.12.2022 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2155 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के तहत राज्यवार जारी धनराशि

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	22.34	38.54
3	अरुणाचल प्रदेश	39.59	0.00	30.07
4	असम	23.22	26.12	44.04
5	बिहार	0.00	0.00	63.77
6	छत्तीसगढ़	0.00	4.04	7.93
7	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	
	दमन और दीव	0.00		0.00
8	गोवा	0.00	0.00	0.59
9	गुजरात	0.00	0.00	0.00
10	हरियाणा	0.00	9.89	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	10.00	22.10	32.42
12	जम्मू और कश्मीर	6.19	25.00	40.00
13	झारखंड	0.00	2.34	7.74
14	कर्नाटक	0.00	0.44	29.15
15	केरल	0.00	8.13	12.00
16	लद्दाख	-	2.15	1.08
17	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	85.48	71.42	47.11
19	महाराष्ट्र	8.44	66.76	73.34
20	मणिपुर	4.54	3.41	2.98
21	मेघालय	2.63	3.97	0.00
22	मिजोरम	0.50	21.19	5.56
23	नागालैंड	3.94	3.72	4.58
24	ओडिशा	0.00	2.94	1.33
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	0.00	13.45	10.78

27	राजस्थान	0.00	12.98	17.27
28	सिक्किम	5.10	4.75	1.19
29	तमिलनाडु	**5.30**	**56.88**	**39.89**
30	तेलंगाना	0.00	12.00	0.00
31	त्रिपुरा	0.00	2.53	4.67
32	उत्तर प्रदेश	**169.92**	**32.54**	**83.08**
33	उत्तराखंड	23.79	26.75	0.00
34	पश्चिम बंगाल	44.10	33.52	15.14

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंचायतों को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत राज्यवार जारी धनराशि

क्र.सं.	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	2019-20	2020-21	2021-22
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.18	0
2.	आंध्र प्रदेश	2.20	2.47	2.95
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.15	0.85
4.	असम	0.97	1.59	1.62
5.	बिहार	0.25	2.76	2.27
6.	छत्तीसगढ़	1.55	1.54	1.6
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0.70	0.35
8.	दमन और दीव	0	0.35	0.32
9.	गोवा	0	0	0
10.	गुजरात	0.05	3.62	1.88
11.	हरियाणा	0.05	2.86	1.48
12.	हिमाचल प्रदेश	1.33	1.54	1.41
13.	जम्मू और कश्मीर	0.05	0.60	0.36
14.	झारखंड	1.36	1.52	1.59
15.	कर्नाटक	1.63	0.10	1.87
16.	केरल	0.25	1.75	2.1
17.	लद्दाख	0	0	0
18.	लक्षद्वीप	0	0.05	0.3
19.	मध्य प्रदेश	2.35	0.05	5.13
20.	महाराष्ट्र	0	2.31	4.6

21.	मणिपुर	0.78	0.25	1.76
22.	मेघालय	0.05	0	0.05
23.	मिजोरम	0	0	0.25
24.	नागालैंड	0	0.26	0.36
25.	ओडिशा	0	2.97	1.87
26.	पंजाब	1.62	1.64	1.74
27.	राजस्थान	1.34	1.83	1.72
28.	सिक्किम	0.81	0.86	0.86
29.	तमिलनाडु	0.05	3.56	1.87
30.	तेलंगाना	0.05	2.91	1.68
31.	त्रिपुरा	1.06	1.36	1.43
32.	उत्तराखंड	0.05	2.96	1.49
33.	उत्तर प्रदेश	4.70	4.79	4.78
34.	पश्चिम बंगाल	1.60	1.65	1.95

***